न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद,न्याय आपके द्वार अभियान कोर्ट केम्प खजूरी

मि0न0 : 529 / 2014 निर्णय दिनांक - 17/5/16

1– भौलूराम आत्मज भवाना

2– कालूराम आत्मज भवाना जाति माली निवासी खजूरी तहसी कनवास।

– वादीगण

भैरूलाल वल्द कन्हैयालाल जातिद माली निवासी खजूरी तहसील कनवास

– प्रतिवादीगण

वाद अ0धा0 188 आर टी एक्ट

वादीगण द्वारा एक वाद 188 आरटीएक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माल ग्राम खजूरी तहसील कनवास की खाता सं.नई 230 पुरानी 204 के ख.न. 544 की 0.07 है0 ख.न. 545 की 0.04 है0 ख.न.651 की 0.20 है0 खसरा ख.न.652 की 0.05 है0ख.न. 653 की 0.31 है. ,ख.न. 850 की 0.01 है. खसरा न. 851 की 0.80 है. खन.न.1723 की 0.01 है0 व ख.न. 1724 की 0.12 है. कुल किता 9 की कुल 1.61 है0 भूमि खाते व कब्जे काश्त में स्थित है जिसके वादीगण खातेदार टीनेन्ट है। वादीगण की ,खसरा न. 850 की 0.01 व ख.न. 851 की 0.80 है. भूमि प्रतिवादी के खेत ख.न. 844 व 849 के पास स्थित है तथा अन्य आराजीयात् से अलग स्थित है जिसको प्रतिवादी द्वारा जबरदस्ती काश्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

अतः माल ग्राम खजूरी तह0 कनवास की ,ख.न. 850 व 851 की आराजी पर प्रतिवादी किसी प्रकार से मदाखलत मजाहमत फसल क्षति,नुकसान कारित नही करे,वादीगण को शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने दे, उक्त कृत्य न तो स्वंय करें और न ही अपने नौकरो व एजेन्टों सें करावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करतें हुऐ कथन किया कि ख0न0 850 रकबा 0.01 है0 व ख.न. 851 रकबा 0.80 है0 आराजी एवं प्रतिवादी भैरूलाल के खाते दर्ज आराजी ख.न. 848 रकबा 0.09 है0 एवं ख.न. 849 रकबा 0.62 है. आराजी आपस में लगी हुई है एवम करीब 50

कार्यालय उप जिला कलेक्टर

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

वर्ष सें उक्त चारों ख.न. की आराजीयात् मौके पर एकजाई काश्त होती है एवं मौके पर करीब 50 वर्ष सें प्रतिवादी एवं उसके पिता उक्त आराजीयात् पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

वाद न्याय आपके द्वार अभियान के तहत आयोजित केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत खजूरी में पेश हुआ । रेकार्ड एवं मौके कि स्थिति की रिपोर्ट चाही गई। मौका एवं रेकार्ड की अनुसार ख.न. 850 रकबा 0.01 किस्म गै0मु0 बोरिंग व ख.न. 851 रकबा 0.80 है0 किस्त चाही तृतीय किता 2 रकबा 0.81 है. भूमि खाता सं.248 भोलू कालूलाल पुत्र भवाना कौम माली सा. देह खातेदार के नाम खाता दर्ज है परन्तु मौके पर ख.न. 850–851 पर वर्तमान में भैरूलाल पुत्र कान्हा कौम माली सा.देह का मौके पर कब्जा हैं। वाद में प्रस्तुत रेकार्ड /दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद संलग्न जमाबंदी सम्वत 2068 मे भोलूराम,कालूलाल पुत्र. भवाना कौम माली सा.देह दर्ज रेकार्ड है। जमाबंदी सम्वत् 2062–65 मे भोलूराम,कालूराम पुत्र भवाना कौम माली निवासी सा.देह बतौर खातेदार दर्ज रेकार्ड हैं। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण विवादित आराजी के खातेदार दर्ज है जबकि प्रतिवादी ने अपने जवाब में अंकित किया है वह कब्जा मुखालपाना (एडवर्स पजेशन) के आधार पर हक अधिकार है कानूनन वादीगण खातेदार होने से अपने हितो की रक्षार्थ न्यायालय से कानूनन सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है। जबकि प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम एडवर्स पजेशन के आधार पर है प्रतिवादीगण का एडवर्स पजेशन के अतिरिक्त कोई वैध अधिकार विवादित आराजी पर रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व नही है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पास विवादित आराजी पर वैध आधार नही है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर माल ग्राम खजूरी तह0 कनवास की ,ख न. 850 व 851 की आराजी पर प्रतिवादी किसी प्रकार से मदाखलत मजाहमत फसल क्षति,नुकसान कारित नही करे,वादीगण को शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने दे, उक्त कृत्य न तो स्वंय करें और न ही अपने नौकरो व एजेन्टों सें करावे। उक्तानुसार डिक्री पारित कि जावे ।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर कनवास

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

1. भौलूराम पुत्र भवना।
2. कालूराम पुत्र भदाना जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास जिला कोटा।

बनाम

1. भैरूलाल वल्द कन्हैयालाल जाति माली निवासी खजूरी तहसील कनवास।

प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. 529/14 सन 2014 तारीख फैसला 17.05.2016 न्यायालय ब इजलास श्री अम्बालाल मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी 1 लगायत 2स्वंय मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी 01 स्वंय मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि ग्राम खजूरी पटवार हल्का खजूरी में खसरा नंबर 850 व 851 की आराजी पर प्रतिवादी किसी भी प्रकार से मदाखलत मजाहमत फसल क्षति, नुकसान कारित नंही करे, वादीगण को शांति पूर्वक काश्त व उपयोग उपभोग करने दे, उक्त कृत्य न तो स्वंय करें और न ही अपने नौकरों व एजेन्टों सें करावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31/08/2016 माह अगस्त 2016 को जारी की गई।

मोहर ....

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL---------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL---------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

(श्री कैलाश चंद गुर्जर)
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा